2017/00498

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास डॉ.एन.के. गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 411/17 उपनिवेशन विविध

पाबूराम पुत्र श्री बक्साराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू, तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. इन्दिरा पत्नी महावीर पुत्र भंवर सिंह
2. विजेन्द्र सिंह
3. देवेन्द्र सिंह
4. गायत्री

पिसरान महावीर जाति राजपूत निवासीगण चौतीना कुआं, खादी मन्दिर के पास, बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरिराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता श्री विजय भादाणी उपस्थित।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 10.09.18

1. प्रार्थी की और से यह प्रकरण दिनांक 24.09.14 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पति/पिता को चक 6 एच.एल.एम. उपनिवेशन तहसील कोलायत सं. 2 के मुरब्बा नम्बर 115/62 की 25 बीघा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मुख्यालय बीकानेर द्वारा दिनांक 30.04.14 को अप्रार्थी की पात्रता की जांच व सक्षम धोषित किये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कृषि भूमि का आवंटन कर दिया। अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र) राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता श्री विजय भादाणी उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति श्री महावीर पुत्र भंवरसिंह द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष बतौर भूमि पुख्ता आवंटन के लिये दिनांक 17.01.85 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि मिसल संख्या 111/85 दर्ज कर दिनांक 24.01.85 में मुकर्रर की।अप्रार्थी के पति ने 6 वर्ष तक कोई तस्दीक नहीं करवायी। 6 वर्ष पश्चात दिनांक 29.11.91 को पत्रावली पेशी में ली जाकर परिचय पत्र के आधार पर 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा काश्त करने का शपथ पत्र 1980 में पेश किया जब महावीर की उम्र 16—17 वर्ष थी। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 29.04.14 को निर्णय पारित किया व दिनांक 30.04.14 को

उक्त पत्रावली बज्जू मुख्यालय पहुंच गयी । उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये आवंटन बहाल कर आवंटन राशि जमा करवा कर पट्टा जारी कर दिया। अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.04.14 नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाते हुए आवंटित भूमि रकबा राज दर्ज करने के आदेश फरमावे।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1ता4 की बहस है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी गलत व आधारहीन है। प्रार्थिनी के पति को सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया हैं शिकायत करता के पक्ष में कोई प्राईमाफेसाई केस नहीं बनता है। प्रार्थी ने दिनांक 30.04.14 को किये गये आवंटन को निरस्त करने की इस्तदुआ की है जबकि उक्त आदेश माननीय अति. आयुक्त उपनिवेशन व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.04.14 की पालना में बहाल किया गया है जो धारा 22(3) की परिधि में नहीं आता है। अप्रार्थी ने तमाम राशि खजाना राज में जमा करवाई है। पानी की बारी व कब्जा अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थी गरीब महिला है उस पर दबाव बनाकर आवंटित भूमि हड़पने की नियत से तमाम कार्यवाही की गई है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमो के तहत ही विधिक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की गई है। निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष नियम 22(3) के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण को आवंटन दिनांक 27.11.2002 को किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 30.04.14 को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 27.11.2002 के विरूद्ध कार्यवाही की है जो स्पष्ट मियाद बाहर है। प्रार्थना–पत्र कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की मंशा मात्र आवंटियो को आवंटन शुदा भूमि पर काश्त करने से रोकना, तंग परेशान कर अनुचित दबाव बनाकर भूमि खरीदने की है। अराजी मुतनाजा अप्रार्थी को विधिवत आवंटन की जाकर आवंटन आदेश प्रसारित किया गया है। भौतिक कब्जा दिया जाकर इंतकाल संख्या 152 दिनांक 22.06.14 राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काल्पनिक तथ्यो के आधार पर कानूनी प्रावधानो के विपरित होने से भारी कोस्ट लगाकर निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बन्धित आवेदक को 18.11.93 को सक्षम घोषित करने के पश्चात आवंटन किया गया जो 18.12.2003 को खारिज होने के पश्चात अपील पेश करने पर माननीय अति. आयुक्त उपनिवेशन व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.04.14 की पालना में रिमाण्ड प्रकरण में आवंटन बहाल किया गया है। न्यायालय निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष बहाली आदेश के विरूद्ध नियम 22(3) के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमो के तहत ही विधिक प्रकिया अपनाते हुए कार्यवाही की गयी है। सक्षम घोषित होने के पश्चात अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 27.11.2002 को किया गया है जिसका आवंटन आदेश न्यायालय निर्णय की पालना में 30.04.14 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है कि आवंटी को भौतिक कब्जा दिया जाकर इंतकाल संख्या 152 दिनांक 22.06.14 राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। पानी की बारी व कब्जा भी अप्रार्थीगण का है। प्रार्थी स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह शिकायतकर्ता है। शिकायतकर्ता का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में कोई प्राईमा फेसाई केस नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन होने के कारण स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 111/85 आदेश की प्रति सहित उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित की जावे।

8. आदेश आज दिनांक 10.09.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(डॉ. एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर